



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 153 राँची, बुधवार,

6 अप्रैल, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2022

संख्या -01/ श्रमा०का०स्था०(राज०)-01/2013श्र०नि०-554--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, एतद द्वारा झारखण्ड राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्न नियमावली बनाते हैं:-

झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली.

2022

अध्याय- 1**प्रारम्भिक****1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-**

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022" कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ :-

- (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।
- (ii) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।
- (iii) 'प्रशासी विभाग' से अभिप्रेत है श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।
- (iv) 'सेवा' से अभिप्रेत है झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) ।
- (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग, इस संवर्ग में मूल कोटि कारखाना निरीक्षक संवर्ग, जिसमें कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद होंगे एवं वाष्पित्र निरीक्षक संवर्ग, जिसमें वाष्पित्र निरीक्षक तथा मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक के पद होंगे ।
- (vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार ।
- (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची ।
- (viii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 ।
- (ix) 'अधिकृत संवर्ग बल' से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम-6 एवं 9 के अधीन यथा विहित विभिन्न कोटि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत बल ।

प्राधिकृत संवर्गीय कार्यबल आवश्यकतानुसार समय-समय पर पदों के सृजन एवं समाप्ति के बाद सेवा का कार्यबल स्वतः संशोधित अधिकृत बल समझा जाएगा ।

भाग-2**सीधी भर्ती/नियुक्ति**

3. (1) झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा की मूल कोटि के कारखाना निरीक्षक तथा वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्ति की जाएगी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा मूल कोटि पद कारखाना निरीक्षक एवं वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु परिशिष्ट-I (Annexure-I) में निहित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आयोग द्वारा मूल कोटि के पद, कारखाना निरीक्षक एवं वाष्पित्र निरीक्षक, पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाएगी ।

इस संवर्ग में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure के अनुसार आयोजित होगी ।

(2) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को कारखाना निरीक्षक तथा वाष्पित्र निरीक्षक के पदों पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया जाएगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी ।

(3) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्णता हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०-13026 दिनांक-27-11-2012, संकल्प सं०- 7358 दिनांक-12-09-2019 तथा संकल्प सं०-3928 दिनांक-11-08-2020 के आलोक में निम्न रूप से होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प के आलोक में संशोधित होगा :-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति /जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(4) लिखित परीक्षा की योजना :- लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :-

क. कारखाना निरीक्षक के पद हेतु;

विषय	अवधि	पूर्णांक
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	100
अभियंत्रण प्रश्न पत्र-1	3 घंटे	200
अभियंत्रण प्रश्न पत्र-2	3 घंटे	200

ख. वाष्पित्र निरीक्षक के पद हेतु ;

विषय	अवधि	पूर्णांक
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	100
अभियंत्रण प्रश्न पत्र-1	3 घंटे	200
अभियंत्रण प्रश्न पत्र-2	3 घंटे	200

कारखाना निरीक्षक एवं वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ही अभियंत्रण प्रश्न पत्रों की जांच की जाएगी। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची बनाने में नहीं की जायेगी।

ग. अभियंत्रण प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

घ. प्रश्न पत्रों में यथावश्यक एस. आई. यूनिट का प्रयोग किया जायेगा।

(5) **साक्षात्कार :-** कारखाना निरीक्षक एवं वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा जो 50 (पचास) अंकों का होगा।

व्यक्तिगत परीक्षण करते समय अभ्यर्थी की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा बौद्धिक क्षमता, व्यवहार कुशलता एवं अन्य सामाजिक गुण, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता और सत्यनिष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

4. **रिक्तियों का नियतीकरण :-** विभाग स्वयं समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1^{ली} जनवरी के स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे। उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को 28/29 फरवरी तक भेज दी जायेगी।
5. **रिक्तियों में आरक्षण :-** सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आरक्षण नीति/रोस्टर यथा रूप प्रभावी होगी।
6. **संवर्ग की संख्या और संरचना :-** नियम-9 के अधीन गठित संवर्गीय संरचना के अनुसार पदों का निर्धारण राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

वर्तमान में संवर्गीय अधिकृत बल एवं प्रतिशत निम्न रूप से है :-

पदनाम	अधिकृत बल	प्रतिशत
मुख्य कारखाना निरीक्षक	01	3.85
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	04	15.38
कारखाना निरीक्षक	21	80.77
कुल	26	100.00

पदनाम	अधिकृत बल	प्रतिशत
मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक	01	14.29
वाष्पित्र निरीक्षक	06	85.71
कुल	07	100.00

7. **“संवर्ग नियंत्रण”**- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

भाग-3

सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएं

8. **(ख) वाष्पित्र निरीक्षक :- क. कारखाना निरीक्षक :-**

- (1) शैक्षणिक योग्यता :-** अभियंत्रण की किसी शाखा से स्नातक पाठ्यक्रम की डिग्री :-

क . केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

ख. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान, या

ग. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित, या

घ. द इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के एसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा के खंड 'ए' एवं 'बी' में उत्तीर्ण

ङ ऐसे अन्य समतुल्य अर्हता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी ।

- (2) कार्य अनुभव :-** किसी निबंधित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग में संबन्धित शाखा के अभियंता के रूप में किसी 02 (दो) वर्ष का व्यावहारिक कार्य अनुभव।

कार्य अनुभव निबंधित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

(3) **उम्र** :- कारखाना निरीक्षक के मूल पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा अध्यायाना वर्ष की पहली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी तथा अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०- 29 दिनांक-04-01-2021 तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था लागू होगी।

(1) **शैक्षणिक योग्यता** :- यांत्रिक अथवा पावर प्लांट अथवा धातुकर्म अथवा उत्पादन अभियंत्रण/ टेक्नोलोजी में से स्नातक पाठ्यक्रम की डिग्री :-

क. केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

ख . अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान, या

ग. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित, या

घ. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के एससोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा के खंड 'ए' एवं 'बी' में उत्तीर्ण

ङ ऐसे अन्य समतुल्य आहर्ता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी ।

(2) **कार्य अनुभव** :- किसी निबंधित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के वाष्पित्र संयंत्र में संबन्धित शाखा के अभियंता के रूप में 02 (दो) वर्ष का कार्य अनुभव ।

अथवा,

वाष्पित्र इंजन बनाने तथा मरम्मत करने वाले किसी निबंधित कर्मशाला (workshop) में अभियंता के रूप में 02 (दो) वर्ष तक कार्य करने का कार्य अनुभव ।

कार्य अनुभव निबंधित संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

(3) **उम्र** :- वाष्पित्र निरीक्षक के मूल पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा अध्यायाना वर्ष की पहली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी तथा अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०- 29 दिनांक-04-01-2021 तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था लागू होगी ।

भाग-4**(9) सेवा की संरचना :-**

(1) इस सेवा में दो संवर्ग होंगे :-

(क) कारखाना निरीक्षक संवर्ग के अंतर्गत निम्न पद होंगे :-

क्र०	पदनाम एवं वेतनमान	
(i)	मुख्य कारखाना निरीक्षक वेतनमान-37600-67000 ग्रेड पे -8700, पुनरीक्षित वेतनमान - level - 13	समूह- क राजपत्रित
(ii)	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक वेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे -7600, पुनरीक्षित वेतनमान - level - 12	
(iii)	मूल कोटि के पद कारखाना निरीक्षक वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे -5400, पुनरीक्षित वेतनमान - level - 9	समूह- ख राजपत्रित

(ख) वाष्पित्र निरीक्षक संवर्ग के अंतर्गत निम्न पद होंगे :-

क्र०	पदनाम एवं वेतनमान	
(i)	मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक वेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे -6600, पुनरीक्षित वेतनमान- level - 11	समूह- क राजपत्रित
(ii)	मूल कोटि के पद वाष्पित्र निरीक्षक- वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे -4800, पुनरीक्षित वेतनमान - level- 8	समूह- ख राजपत्रित

(2) ऐसे अन्य पद जिन्हें श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग समय-समय पर सृजित करे या उपर्युक्त संवर्ग में शामिल करे ।

(3) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग यह निर्धारित करेगा कि उपर्युक्त सेवा संवर्ग के प्रत्येक कोटि में कितने पद सृजित किए जाएंगे।

10. **प्रशिक्षण :-**

1. **प्रारम्भिक प्रशिक्षण :-**

श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति के उपरांत 90 दिनों का संस्थागत प्रशिक्षण राज्य श्रम संस्थान, राँची में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. **सेवा कालीन प्रशिक्षण :-**

श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग में नियुक्त सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक उच्चतर पद पर प्रोन्नति अथवा दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने, जो भी पहले हो, के उपरांत एक माह का सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम राज्य श्रम संस्थान द्वारा प्रशासी विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जाएगा।

11. (1) **सम्पुष्टि:-** श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को सेवा सम्पुष्टि के लिए दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करना, संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I (A) / विधि भाग-I (B), विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से उत्तीर्ण एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परीक्ष्यमान अवधि के दौरान निलंबित रहने, विभागीय कार्यवाही संचालित रहने, दंडित रहने अथवा न्यायिक/आपराधिक वाद में आरोप पत्रित रहने की स्थिति में सम्पुष्टि बाधित होगी। (विधि भाग-I (A) कारखाना निरीक्षक हेतु एवं विधि भाग-I (B) वाष्पित्र निरीक्षक हेतु)

(2) **वेतनवृद्धि:-** श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा अवधि पूर्ण होने अथवा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I (A) / विधि भाग-I (B), विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से तथा जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगी, बशर्ते सेवा संतोषप्रद हो। (विधि भाग-I (A) कारखाना निरीक्षक हेतु एवं विधि भाग-I (B) वाष्पित्र निरीक्षक हेतु)

जिन पदाधिकारियों को प्रथम वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें 02 (दो) वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय वेतनवृद्धि देय होगी।

तीसरी वेतनवृद्धि तीन वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरांत देय होगी।

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण अवरुद्ध वेतनवृद्धि का प्रभाव संचयात्मक नहीं होगा, किन्तु अवरुद्ध वेतनवृद्धि के कारण विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि के पूर्व का बकाया देय नहीं होगा।

विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि वही मानी जाएगी जैसा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-3372 दिनांक- 18-06-2003 के भाग-I के नियम - 9 में प्रावधानित है।

भाग-5**12. सेवा से बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन :-**

- (1) झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के वैसे पदाधिकारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है तथा राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इनको अब सेवा में नहीं रखा जा सकता अर्थात् सेवा में रखने लायक नहीं है, तो सेवा बर्खास्तगी के पूर्व आयोग कि अनुशंसा प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा। झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के वैसे पदाधिकारी जिनकी पर्यवेक्षण- क्षमता पद के अनुकूल नहीं है तथा संवर्गीय पद में प्रोन्नति पा चुके हैं राज्य सरकार को यदि इस आशय का समाधान हो गया है कि ये गुरुत्तर दायित्व के योग्य नहीं हैं तो इनके संवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में आयोग का अभिमत अपेक्षित होगा ।
- (2) नियम-16 के फलाफल पर सरकार के निर्णय से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है ।
- (3) भारत के संविधान में किये गये प्रावधानों के तहत भी समतुल्य कारवाई की जा सकती है ।

भाग-6**13. (1) प्रोन्नति :-**

- (i) झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के कारखाना निरीक्षक संवर्ग में उप मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद वरीयता-सह-योग्यता एवं कालावधि के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे । प्रोन्नति हेतु अनुशंसा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी तथा विभागीय प्रोन्नति समिति समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र/ संकल्प के आलोक में गठित होगी ।
- (ii) झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के वाष्पित्र निरीक्षक संवर्ग में मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक के पद वरीयता - सह - योग्यता एवं कालावधि के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे । प्रोन्नति हेतु अनुशंसा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी तथा विभागीय प्रोन्नति समिति समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र/ संकल्प/अधिसूचना के आलोक में गठित होगी ।
- (2) **प्रोन्नति की कालावधि :-** प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3286 दिनांक- 04-04-2014, संकल्प संख्या-10483 दिनांक- 24-10-2014 के अनुसार होगा तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे।
- (3) **विभागीय परीक्षा मे उत्तीर्णता एवं संपुष्टि :-** श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को किसी भी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I (A) / विधि भाग-I (B), विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना, वार्षिक गोपनीय चरित्री संतोषप्रद तथा सेवा संपुष्ट होना अनिवार्य होगा।

प्रोन्नति हेतु आरोपों की समीक्षा के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-6227 दिनांक-20-11-2008 के प्रावधान तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे।

14. **वरीयता** :- झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) में नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के मेधाक्रम से होगा।
15. **स्थानांतरण / पदस्थापन** :- झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के पदाधिकारियों का स्थानांतरण / पदस्थापन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अनुदेश के आलोक में किया जाएगा।
16. **अनुशासनिक कार्रवाई** :- झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/परिपत्र/संकल्प/ अधिसूचना के आलोक में की जायेगी।
17. **निर्वचन** :- जहां इन नियमों या एतदधीन बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, इस मामले को राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में निर्दिष्ट किया जायेगा, उसपर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जाएगा।
18. **प्रकीर्ण** - अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खंडों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।
19. **निरसन एवं व्यावृत्ति** :-

- (1) इस नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत नियम/विनियम /अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

APPENDIX-I

(See Rule-3)

SYLLABUS FOR THE MAIN EXAMINATION**Paper-I****General Hindi and General English****Total Marks: 100**

The General Hindi and General English paper shall be composite paper, consisting of two segments, namely (i) Hindi and (ii) English. Both the segments shall be of equal weightage i.e. each of 50 marks. The purpose of the paper is to test the working knowledge of the candidates in the above two languages. As such the questions to be asked in both the segments of this paper shall be of matric standard only and shall be confined to the following areas:-

(A)	General Hindi:	50 marks
(क)	निबंध (400 शब्दों का)	— 15 अंक
(ख)	व्याकरण	— 15 अंक
(ग)	वाक्य विन्यास	— 10 अंक
(घ)	संक्षेपण	— 10 अंक

(B)	General English :	50 marks
1.	Essay (400 words)	- 15 marks
2.	Grammar	- 15 marks
3.	Comprehension	- 10 marks
4.	Precis	- 10 marks

It will be only a qualifying paper in which out of 100 (combined both Hindi & English) every candidate will have to secure only 30 marks.

The marks obtained in this paper will not be counted for the preparation of merit list.

Syllabus of Factory Inspector Examination:**Engineering****Paper-I****Total Marks: 200**

Sl.No.	Subject	Marks
1	Industrial safety, Occupational Health and Environment: Evaluation Concepts, Policies and Legal Framework.	20
2	Quantitative Risk Assessment: Consequence Analysis, Damage modeling, FTA, ETA, Uncertainty in risk assessment, Dispersion models, Source models, Software applications.	40
3	Process Safety and System safety analysis: PHA, HAZAN, HAZOP, System life cycle and safety consideration.	30
4	Engineering Design: Design for Safety, Structural Design Safety, Plant Layout, Pressure system design, Control System Design including relief and relief design, Process design, Change Control, Fail Safe Condition, Electrical Safety, Fire Safety.	60
5	Occupational Health: Fitness to the job, Risks likely to impact the worker's occupational Health, Surveillance programs & their Effectiveness, Records.	30
6	Labour Welfare: Amenities and their Maintenance	20
	Total	200

Engineering**Paper-II****Total Marks: 200**

Sl.No.	Subject	Marks
1	System Reliability, Maintenance and Safety: Reliability predication, System reliability, Reliability of Complex system, Fault diagnosis, Software applications. Maintainability, Maintenance activities and policies, RCM, RBM Life cycle costing.	40
2	Ergonomic and System Safety: Anthropometry, Working posture analysis, Work Station Design, Human error Quantification and preservation, Cognitive modeling, Safety critical system and human reliability, Musculoskeletal Disorders, Measurement and evaluation, Preventive Measures and workplace Stress, Effect of Technology, Design and Job Stress and MSDs. Task/Job analysis for Job Control.	70
3	Safety Management and Work Environment: Procedure for incident investigation, Accident analysis, Engineering and	70

	Administration Control, Behavioral safety, Interactions amongst man-machine- work environment, Safety performance analysis and monitoring, Organization for safety, System Safety integration software.	
4	Waste & Effluent Management & Disposal: Types of industrial effluents & wastes- The methods of treatment and their disposal.	20
	Total	200

Syllabus of Boiler Inspector Examination:

**Engineering
Paper-I
Total Marks: 200**

Sl.No.	Subject	Marks
1	Calculation of Load, areas, volume, quantities and weight.	20
2	Description of different types of boiler and calculation of working pressure of boiler.	20
3	Calculation of stress	40
4	Working management of steam boiler, superheater and economizer	30
5	Use and purpose of various valves, cocks, mountings, fittings and safety devices	10
6	Description and function of BFP, feed injector, feed regulator, feed water filters and softeners, feed heaters, air heaters, clarifiers, accumulators, F.D. Fans, I.D. Fans. Drafts system and draft control devices	30
7	Combustion system, Overall efficiency of boiler	30
8	Foundation of boiler and chimney and height of chimney	20
	Total	200

**Engineering
Paper-II
Total Marks: 200**

Sl.No.	Subject	Marks
1	Condensation, reheating and steam expansion	20
2	Description and principles of stokers, pulverizers, gas, oil and pulverized fuel system	10
3	Cleaning method of boiler, PH value of water	10
4	Detect defects in boiler and remedial measures	40
5	Start up of boiler	20
6	Economizer	10
7	Fuel economy and instrumentation of boiler	20
8	Materials used for construction of boiler and piping	30
9	Sketch and drawing of boiler, boiler component and mountings	40
	Total	200
